16 पुनरावलोकन
स्वीकार कर
2014-15
क्रमांक
के

-1-

155

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

रिव्यू पुन - 2329 - I-16

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक -दो/2016

कु0 मीना पुत्री जगदीश खेंगार

निवासी ग्राम उटवाहा

तहसील करैरा जिला शिवपुरी ---आवेदिका

दिनांक 18-7-16 को
श्री पी.पी. नायक
अधि. द्वारा
प्रस्तुत/
18-7-16
50

विरुद्ध

1-मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर

2- नायव तहसीलदार वृत्त दिनारा

तहसील करैरा जिला शिवपुरी ---अनावेदकगण

(पुनरावलोकन आवेदन अंतर्गत धारा 51 सहपठित 32, म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 -- प्रकरण कमांक 2025-दो/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 24-6-2016 में सॅशोधन वावत)

कृ0पृ030-2

शाखा प्रभारी (रा.मं.)
राजस्व मण्डल ...

......)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.............

प्रकरण कमांक 2329-एक/2016 पुनरावलोकन जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आ' के हस्ताक्षर
18-7-2016	आवेदक के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक। शासन पक्ष के पैनल लायर उपस्थित । उनके द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने गये तथा न्यायालय के प्रकरण कमांक 2025-दो/2016 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 24-6-2016 का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के अनुसार कु0 मीना पुत्री जगदीश खेंगार ग्राम उटवाहा स्थित भूमि सर्वे कमांक 141/5 रकबा 2.00 हैक्टर की भूमिस्वामिनी थी एंव उसे यह भूमि शासन से प्राप्त पट्टे प्राप्त थी। नायव तहसीलदार वृत्त दिनारा तहसील करैरा ने प्रकरण कमांक 21/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 7-5-2016 से कु0 मीना पुत्री जगदीश खेंगार की भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये गये, जिसके विरुद्व अन्य आवेदकगण के साथ कु0 मीना पुत्री जगदीश खेंगार ने इस न्यायालय में निगरानी कमांक 2025-दो/2016 प्रस्तुत की थी जो आदेश दिनांक 24-6-2016 से स्वीकार की जाकर नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 7-5-16 को निरस्त करते हुये कु0 मीना पुत्री जगदीश खेंगार को पूर्ववत् भूमिस्वामी दर्ज किये जाने के आदेश हुये हैं। आवेदिका के हित में हुये इसी आदेश के अँश भाग के पुनरावलोकन हेतु यह आवेदन है। 3/ आवेदक कु0 मीना पुत्री जगदीश खेंगार के अभिभाषक ने पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुये बताया है कि पट्टाधारी भूमिस्वामिनी कु0 मीना पुत्री जगदीश खेंगार की ग्राम उटवाहा से अन्यत्र शिक्षक की नौकरी लग गई है जिसके कारण वह ग्राम उटवाहा में निवास करके खेती करना नहीं चाहती है एंव भूमि शासन को वापिस करना चाहती है, इसलिये नायव तहसीलदार वृत्त दिनारा तहसील करैरा के प्रकरण कमांक 21/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 7-5-2016 से उसके नाम की ग्राम उटवाहा स्थित भूमि सर्वे कमांक 141/5 रकबा 2.00 हैक्टर शासकीय घोषित की गई है जिसे यथावत् शासकीय रहने दी जाय एंव पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जावे। 4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है एंव न्यायालय के प्रकरण कमांक 2025 -दो/2016 में पारित अंतिम आदेश दिनांक	

प्र0क0 2329-एक/2016 पुनरावलोकन

24-6-2016 में सरल कमांक 9 पर आवेदिका के नाम का विलोपन स्वीकार कर नायब तहसीलदार वृत्त दिनारा तहसील करैरा द्वारा प्रकरण कमांक 21/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 7-5-2016 से ग्राम उटवाहा स्थित भूमि सर्वे कमांक 141/5 रकबा 2.00 हैक्टर को शासकीय दर्ज किये जाने बावत् लिये गये निर्णय के अँशभाग को यथावत् रखा जाता है।

सदस्य